न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/65

1. जोहरा बीबी पुत्री शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. निसार पुत्र इसराईल जाति मुसलमान निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2. उप पंजीयक टिब्बी।

— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, दिनांक 25.03.2021,
प्र. सं. 26/2020 अनवान निसार बनाम जोहरा बीबी आदि

उपस्थितिः—

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेंट

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 02.09.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्र[illegible] संख्या 1 ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के [illegible] व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अ[illegible] एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कथन कियाकि चक 9 सीडीआर पटवार हल्का नाईवाला के प. नं. 226/264 मु0 नं0 144, प. नं. 227/263 मु0 145, प. नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

227/264 मु. नं. 145 में कुल 2.479 आराजी प्रार्थी की दादी अप्रार्थीया जोहराबीबी के नाम से दर्ज है। पिता की मृत्यु हो चुकी है उनकी फौतगी के वक्त प्रार्थी अपने पिता की एक मात्र संतान था। प्रार्थी की दादी अप्रार्थीया जोहरा बीबी ने प्रार्थी के पिता की फौतगी के बाद अपने नाम से दर्ज भूमि को मौखिक रूप से हिब्बा करने की घोषणा कर दी थी। प्रार्थी की माता ने स्वीकार कर लिया था। हिब्बा की गई भूमि को प्रार्थी की माता को सुपुर्द कर दिया जिस पर हिब्बा के रोज से प्रार्थी की माता काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही थी अब प्रार्थी काबिज रहकर काश्त कर रहा है। विवादित भूमि प्रार्थी की हक हिस्सा की भूमि है जिसे जोहरा बीबी अपने नाम का फायदा उठाकर अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करना चाहती है और प्रार्थी के कब्जा में मदाखलत बेजा करने पर आमादा हैं। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायलायम कें यह अनुतोष चाहा कि अप्रार्थीया प्रश्नगत काश्त में मदाखलत बेजा करने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

2. अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया एवं अप्रार्थीया सं0 1 ने अपने नाम अंकित भूमि को कभी भी प्रार्थी के पक्ष में हिब्बा या दान नहीं किया था। हिब्बा का कथन प्रार्थी ने मनघड़ंत कूटरचित कर लिखा है । प्रार्थीया ने हिब्बा ही नही किया तो भूमि का कब्जा सौंपने का तथ्य भी मनघडंत है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा अप्रार्थीया सं0 1 का ही चला आ रहा है वह उसका उपयोग व उपभोग करती है। रिकार्ड में खतोदारी अप्रार्थीया सं0 1 की है। अप्रार्थीया सं0 1 को भूमि उसके पिता से मिली है इसलिए अप्रार्थीया सं0 1 के विरूद्ध कोई खातेदारी अधिकारें की घोषणा प्राप्ति की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा ना ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायलाय ने प्राथी का [illegible] अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया एवं प्रश्नगत भूमि के तासफैसला [illegible]रित नही करने के अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिससे [illegible] ने यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:39 IST
Reason: SelfAttested

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने कोई हिब्बा की घोषणा नहीं की है जब हिब्बा ही नहीं किया तो रसीदा द्वारा हिब्बा स्वीकार करने का प्रश्न ही पैदा नही होता प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है। रेस्पोडेण्ट की माता ने कभी भी प्रश्गनत भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया है। अपीलाण्ट अभिलिखित खातेदार काश्तकार है एवं उसी के नाम रकमराज, आबयाना खजानाराज जमा होता आ रहा है। अपीलाण्ट की पुत्रियॉ जो बतौर प्रतिवादी सं0 2 ता 6 है उन्होंने जवाब दावा में स्पष्ट कथन किया है कि कभी भी जोहरा बीबी ने कोई हिब्बा नामा वादी के हक में अपनी भूमि के बारे में नही किया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 स्वयं के एवं उसकी माता के कहने मात्र से यह प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं हो सकता है जबकि अपीलाण्ट ने किसी भी मौखिक हिब्बानामा से इंकार किया है। अपीलाण्ट एक वृद्ध औरत जात है, अभिलिखित खातेदार काश्त है उसके विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (25) पेज 499, आरबीजे (22) 2015 पेज 210 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में बिना किसी बाधा के चली आ रही है, जिसपर गंदम की फसल खड़ी है। अपीलाण्ट जोहरा बीबी ने प्रार्थी के पिता की फौतगी के बाद अपने नाम से दर्ज समस्त आरजाी प्राथ्र्शी के पक्ष में मौखिक रूप से हिब्बा की घोषणा कर, कब्जा आराजी प्रार्थी की माता रसीदा ने स्वीकार कर लिया था। विवादित आराजी रेस्पोडण्ेट की आराजी है जिसमें अपीलाण्ट का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन कागजात माल में विवादित आराजी जोहराबीबी [illegible] से अंकित है जिसकी वजह से जोहरा बीबी भूमि का बेचान करना चाहती है [illegible] बीबी मेरी सगी दादी है तथा रेस्पोडेण्ट, अपीलाण्ट जोहरा बीबी को आज [illegible] सेवा चाकरी करने के लिए पहले भी तैयार था व आज भी तैयार है [illegible] उसके दवाईयों के खर्चे तथा अन्य समस्त प्रकार के खर्चे वहन करने के तैयार हूँ। भूमि जोहरा बीबी के नाम से है जिसकी वजह से जोहरा बीबी से बेचान करवाकर समस्त राशि हड़पने की फिराक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। इसके संबंध में जोहरा बीबी ने इकरारनामा तहरीर कर रखा है। यदि जोहरा बीबी प्रश्नगत भूमि का बेचान कर देती है तो मेरा दावा ही बेसुधं हो जायेगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिए निम्न तीन बिदुओं को साबित करना जरूरी है:–

(1)प्रथम दृष्टया मामल

(2) सुविधा का सन्तुलन

(3) अपूर्णीय क्षति

9.–बिन्दू संख्या 1 (प्रथम दृष्टया मामला):–

प्रश्गनत भूमि अपीलाण्ट जोहरा बीबी के नाम दर्ज है। अपीलाण्ट जोहरा बीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की दादी है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 का कथन है कि जोहरा बीबी ने उसके पक्ष में मौखिक हिब्बा नामा कर दिया था। जोहरा बीबी ने कोई भी हिब्बा नामा करने से इंकार किया है। हिब्बानामा के बिन्दू को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में दस्तावेजी साक्ष्यों से तय किया जाना है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे (25) पेज 501 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है सभी पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्णय दावे में तय किया जाना है। किन्तु दावे के निर्णय तक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। चूंकि अपीलण्ट प्रश्गनत भूमि की अभिलिखित खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

10. –बिन्दू संख्या 2(सुविधा का सन्तुलन)–

अपीलाण्ट एक अभिलिखित काश्त कार है। यदि प्रकरण में उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वह अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित रह जायेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन का बिन्दू भी अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:39 IST
Reason: SelfAttested

11. बिन्दू संख्या 3 (अपूर्णीय क्षति):–

प्रकरण में हिब्बानामा का बिन्दू अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में तय होना है। चूंकि अपीलाण्ट एक अभिलिखित काश्तकार है और उसने किसी भी प्रकार के हिब्बा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नामा से इंकार किया है। यदि अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति अपीलाण्ट को होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अपीलांट द्वारा जो प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पेश किये है उनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वाद विचाराधीन होने के आधार पर अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस प्रकार किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला अपीलाण्ट के पक्ष में प्रतीत होना पाया जाता, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट के पक्ष में मामला मानते हुए जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है वह कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित की है, जो कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2021 निरस्त किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2/9/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:39 IST
Reason: SelfAttested